संख्या- 9/2021/783/12-3-2021-100(87)/2017टी0सी-।।

प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 7 जुलाई, 2021**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-शो0एवंमृ0सर्वे0/125/NMSA-01/SHC-11/2402/वि0स्वी0/2021-22 दिनांक 21.06.2021, पत्रांक-शो0एवंमृ0सर्वे0/124/NMSA-04/SHC-81/Rev/2402/वि0स्वी0/2021-22 दिनांक 21.06.2021 एवं पत्रांक-शो0 एवंमृ0सर्वे0/123/NMSA-02/SHC-83/2402/वि0स्वी0/2021-22 दिनांक 21.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम **(जनपद वाराणसी, सेवापुरी विकासखण्ड)** हेतु रू0 1.89 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	मानक मद	NMSAके अन्तर्गत प्राविधान (वित्तीय वर्ष 2021-22)	NMSAके अन्तर्गत प्राविधान SHC के लिए मात्राकृत प्राविधान	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृतियां
अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबेल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत	16-**व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान**	1092.00	1092.00	0.96
	42-**अन्य व्यय**	6971.78	1716.00	0.47
	योग-	**8063.78**	**2808.00**	**1.43**
अनुदान सं**0-81** के लेखाशीर्षक-**2402**-मृदा तथा जल संरक्षण-**796**-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-**01**-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0101**- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबेल एग्रीकल्चर	43-**सामग्री एवं सम्पूर्ति**	20.00	20.00	0.15
	योग-	**20.00**	**20.00**	**0.15**
अनुदान सं**0-83** के लेखाशीर्षक -**2402**-मृदा तथा जल संरक्षण-**789**-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-**01**-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0101**-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबेल एग्रीकल्चर	43-**सामग्री एवं सम्पूर्ति**	420.00	420.00	0.31
	योग-	**420.00**	**420.00**	**0.31**
	महायोग	**8503.78**	**3248.00**	**1.89**

(धनराशि रू**0** एक लाख नवासी हजार मात्र**)**

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त अनुदान सं0/लेखाशीर्षक/मानक मद के अन्तर्गत निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण समयबद्ध रूप से शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना/कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु आप अधिकृत है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स में दिये गयें संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। पूंजीगत योजनाओं का सक्षम स्तर का प्रशासकीय एवं तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तथा एस0एल0एस0सी0 द्वारा निर्दिष्ट भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किये जाने तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता (यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भारत सरकार द्वारा पुनवर्ैधित केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।) सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषि निदेशक का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए फेजिंग के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2- 2528/दस-2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयेाग केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

8- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

12- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभाार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति विकासखण्ड सेवापुरी जनपद वाराणसी में प्राथमिकता पर योजना संचालन विषयक कृषि निदेशक के अनुरोध के क्रम में प्रदान की जा रही है। अत: योजना के मानकों को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक कार्य सम्पादित किये जायेंगे। उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

14- स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा पुनवर्ैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 29.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पुनवर्ैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करने का दायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

15- वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी निर्देशोर्ं एवं वित्त/श्रम विभाग द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों तथा अन्य संगत नियमों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0- 9/2021/783(1)/12-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

13- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 /कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

15- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है